



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड  
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिस्ट्रल कम्पनी)  
बीज भवन, पूसा परिसर  
नई दिल्ली -110 0121  
फैक्स- 011- 25846462  
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ (राज.)  
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED  
(A Government of India Undertaking)  
(CIN : U74899DL1963PLC003913)  
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX  
NEW DELHI-110 012 (INDIA)  
Website: www.indiaseeds.com  
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295  
e-mail – [nsc@indiaseeds.com](mailto:nsc@indiaseeds.com)  
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH  
PHONES: ( 01509-238027, 238296 (Office)  
Tele – Fax :- 01509-238027  
e-mail – [directorcsfsg@gmail.com](mailto:directorcsfsg@gmail.com), [agricsfsg@gmail.com](mailto:agricsfsg@gmail.com)

क्रमांक :- सर./कृषि/36/2018-19-

दिनांक :- 10 अप्रैल, 2018

## निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ, जिला-श्रीगंगानगर (राज.) में रबी-2017-18 में उत्पादित फसल गेहूँ, जौ, जई, चना, गाजर, पालक, धनियाँ, मूली आदि की कटाई, गहाई एवं सिल्ला चुगाई एव तूडी बनाने के पश्चात् खाली हुए चकों / खेतों में भेड़, पशु आदि चराने के लिए निविदाएँ प्रति एकड़ के हिसाब से आमंत्रित हैं जिसके तहत कुल क्षेत्र, खण्ड IV में जो कि लगभग 3481.50 एकड़ व खण्ड V में लगभग 3370.00 एकड़ हेतु दिनांक 03.05.2018 को सांय 3.00 बजे तक खंडवार निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं इच्छुक ठेकेदार/पार्टी, उपरोक्त टेण्डर में भाग लेने के लिए धरोहर राशि रूपये 100000/- (रूपये एक लाख मात्र) खण्ड IV व V के लिए अलग-अलग डिमांड ड्राफ्ट जो कि नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सरदारगढ के नाम से सूरतगढ में देय हो को फार्म खजांची के पास या टेण्डर के साथ जमा कराकर टेण्डर में भाग ले सकते हैं जो कि उसी दिन कमेटी द्वारा सांय 3.30 बजे निविदादाता / बोलीदाता के समक्ष पहले खुली बोली करायी जायेगी व उसके बाद निविदा खोली जायेगी । धरोहर राशि चराई का कार्य संतोषजनक संपन्न होने पर वापिस की जायेगी व असफल बोलीदाता को धरोहर राशि नियमानुसार वापिस की जायेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

टेण्डर सम्बन्धी नियम व शर्तों की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में 10.00 बजे से 5.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है, उपरोक्त टेण्डर में भाग लेने के लिए टेण्डर फार्म रु.200/- नगद जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है । इसकी विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाइट [www.indiaseeds.com](http://www.indiaseeds.com) पर देखी जा सकती है। यदि निविदा वेबसाइट से डाउनलोड करके भेजी जाती है तो निविदा के साथ धरोहर राशि के अतिरिक्त निविदा शुल्क रु.200/- का ड्राफ्ट देना होगा बोलीदाता/निविदादाता को नीलामी के समय अपने पेन कार्ड/ टिन न. की फोटोप्रति व वर्तमान आवासीय पते हेतु राषनकार्ड, आधार कार्ड अथवा अन्य सबूत की फोटोप्रति टेण्डर के साथ संलग्न करनी होगी व खुली बोली में भाग लेने हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे।

नोट:- 1.00 बजे के बाद कोई भी टेण्डर फार्म नहीं दिया जायेगा ।

प्रबंधक (उत्पादन)

**राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड**  
(भारत सरकार का उपक्रम)  
**केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)**

क्रमांक: – सर./कृषि/36/2018-19/–

दिनांक: – अप्रैल, 2017

**पशुओं की चराई के नियम व शर्तें।**

- 1- ठेका लेने वाले को प्रत्येक खण्ड के लिए धरोहर राशि रुपये 100000/– (रुपये एक लाख मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट, प्रति खंड के अनुसार जमा करवाना होगा जो कि “नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, सरदारगढ़” के नाम से सूरतगढ़ में देय हो व असफल बोलीदाता को धरोहर राशि बैंक द्वारा सक्षम अधिकारी के स्वीकृति के पश्चात वापिस कर दी जायेगी एवं सफल बोलीदाता की धरोहर राशि चराई का कार्य संतोषजनक ढंग से पूर्ण होने के बाद लौटा दी जायेगी एवं जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 2- सफल बोलीदाता को बोली समाप्त होने पर बोली की 25% राशि जमा करवानी होगी, शेष 75% राशि 07 दिनों के अन्दर जमा कराने होंगे। यदि इस अवधि में शेष राशि जमा नहीं हुई तो इसके अतिरिक्त केवल 07 दिन तक ही 25% वार्षिक दर से ब्याज लिया जायेगा तत्पश्चात भी शेष राशि जमा नहीं होती है तो ठेका रद्द कर दिया जायेगा व धरोहर राशि जब्त कर निगम की काली सूची में नाम डाल दिया जायेगा।
- 3- चराई की अवधि 15 मई, 2018 से 15 जून, 2018 तक ही होगी। यदि किसी चक या क्षेत्र में कटाई/श्रेसिंग/सिला चुगाई/तूड़ी बनाने का कार्य देशी से होता है तो उसका समय नियमानुसार बढ़ाया जायेगा।
- 4- चराई का समय सुबह 6.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक का होगा।
- 5- सिल्ला चुगाई करने के बाद ही पशु चराने हेतु एरिया दिया जायेगा। यदि बिना चुगाई (सिल्ला चुगाई) किए फार्म क्षेत्र में पशु पाये गये तो धरोहर राशि में से नुकसान की भरपाई की जायेगी।
- 6- पशु चराने के लिए पशुओं के साथ आने वाले व्यक्ति फार्म के किसी कर्मचारी, मजदूर के साथ दुर्व्यवहार या झगड़ा नहीं करेगा व फार्म क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हथियार जैसे बल्लम, भाला बन्दूक व पिस्तौल आदि की अनुमति नहीं होगी।
- 7- पशुओं व पशु चराने वालों द्वारा खालों, नहर के पानी को क्षति नहीं पहुँचायेगे। ऐसा होने पर ठेका रद्द किया जा सकता है और धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 8- ठेकेदार को पशु चराने वालों के नाम व पते फार्म में जमा करवाने होंगे।
- 9- ठेकेदार के पशुओं अथवा चरवाहों द्वारा फार्म में किसी प्रकार की बिजाई एवं अन्य चल अथवा अचल सम्पत्ति को कोई नुकसान पहुँचाने पर उसके हर्जाने की ठेकेदार से भरपाई की जावेगी।
- 10- ठेकेदार प्रत्येक खण्ड में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पशुओं द्वारा कराई गयी जबरन या चोरी से चराई को रोकने का स्वयं जिम्मेवार होगा, इसके लिये फार्म की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी एवं किसी विवाद के लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा।
- 11- चराई के लिए कृषि अधिकारी द्वारा आदेश जारी किया जायेगा, जिसमें क्षेत्र, चक नं. व समय अवधि का विवरण होगा।

- 12- फार्म के किसी अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, चक प्रभारी व कर्मचारी के मांगने पर चराई करने वाले को आदेश दिखाना होगा। बिना आदेश के पशु चराई करते समय चराई को अवैध माना जायेगा, जिसके लिए उसके खिलाफ समुचित कार्यवाही की जायेगी।
- 13- जिस प्रक्षेत्र में जुताई व बुवाई की जरूरत होगी उस खेत की चराई की पर्ची रद्द कर दी जावेगी।
- 14- चराई बिना कारण बताए निदेशक फार्म द्वारा रद्द की जा सकती है। चराई का ठेका उसी व्यक्ति को दिया जायगा जिसका चाल चलन सही व निगम की काली सूची में न हो। काली सूची वाले व्यक्ति से सम्बन्धित को भी ठेका नहीं दिया जायेगा जहाँ उसका नाम परिवारिक तौर पर जैसे कि पत्नी या बेटा आदि।
- 15- यदि चराई पर दिये प्रक्षेत्र में नाली का पानी आ जाता है या फसल की बुवाई व जुताई के लिए उसमें फार्म द्वारा पानी भरवा दिया जाता है या आग लगा दी जाती है तो उसके बदले में न तो दूसरा क्षेत्र चराई के लिए दिया जायेगा और न ही कोई भुगतान देय होगा तथा इस पर परमिट धारक को कोई एतराज नहीं होगा।
- 16- गेहूँ, जौ, जई की फसल कटने उपरान्त, तूड़ी / भूसा बनाने / उठाने के बाद ही पशु चराने की अनुमति दी जायेगी।
- 17- उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर मामला केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ के निदेशक महोदय को प्रस्तुत किया जायेगा और उसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- 18- इस ठेके में यदि कोई टैक्स लगता है तो उसे ठेकेदार को देना होगा तथा ठेकेदार को आयकर विभाग से PAN No. आवश्यकतानुसार देय होगा।
- 19- ठेकेदार को रूपये 100/- का नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
- 20- सफल निविदादाता द्वारा एक हलफनामा जो कि नोटेरी द्वारा तस्दीक किया गया हो। इस आषय का प्रस्तुत करना होगा जिसमें वर्णित हो कि उक्त ठेकेदार को फार्म अथवा अन्य संस्था द्वारा काली सूची अथवा अवांछित सूची में ज्ञापित नहीं किया गया हो।

**प्रबंधक(उत्पादन)**  
कृते निदेशक



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड  
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरल कम्पनी)  
बीज भवन, पूसा परिसर  
नई दिल्ली -110 0121  
फैक्स- 011- 25846462  
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़ (राज.)  
फैक्स-01509-238027

**NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED**  
(A Government of India Undertaking)  
(CIN : U74899DL1963GOI003913)  
**BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX**  
**NEW DELHI-110 012 (INDIA)**  
Website: www.indiaseeds.com  
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295  
e-mail – [nsc@indiaseeds.com](mailto:nsc@indiaseeds.com)  
**CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH**  
PHONES: ( 01509-238027, 238296 (Office)  
Tele – Fax :- 01509-238027  
e-mail – [directorcsfsg@gmail.com](mailto:directorcsfsg@gmail.com)

क्रमांक: – सर./कृषि/36/2018-19-

दिनांक: – 03 मई, 2018

## टेण्डर फार्म

फसलों की कटाई/सिला चुगाई के पश्चात् तथा खरीफ 2017/जायद 2018  
में बुवाई का क्षेत्र रखने के बाद पशुओं को चराने बाबत

खण्ड नं.	पशु चराई के लिये दिये जाने वाला क्षेत्र एकड़ में	दर प्रति एकड़
खण्ड-04	चना व अन्य (सरसों, गेहूँ, जौ, जई, आदि)	3481.50
खण्ड-05	चना व अन्य (सरसों, गेहूँ, जौ, जई, गाजर आदि)	3370.00
	कुल: –	6851.50

टेकेदार के हस्ताक्षर

नाम: – .....  
पिता का नाम: – .....  
गांव व पोस्ट: – .....  
जिला: – .....  
मो.न.- .....  
पान न0.....